

(To be published in part II, Section 3, sub-section (ii) of the gazette of India)

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 14<sup>th</sup> June, 2016

S.O. \_\_\_\_\_. - In exercise of the powers conferred by the clause (ii) of the proviso to clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, hereby notifies the 'classes of persons' for the purposes of the said clause as being the 'person' defined under sub-section (31) of section 2 of the said Act, being resident, who make any consideration exceeding the face value for issues of shares of a 'startup' company.

Explanation. - For the purposes of this notification, "startup" shall mean a company in which the public are not substantially interested and which fulfills the conditions specified in the notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, number G.S.R.I 80(E), dated the 17<sup>th</sup> February, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (i), dated the 18<sup>th</sup> February, 2016.

(Notification No. 45/2016, F. No. 173/103/2016-ITA-I)



(Rohit Garg)

Deputy Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri, New Delhi.

[भारत के राजपत्र, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून, 2016

का.आ..... केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (VII ख) के परंतुक के खंड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त खंड के आशय से "व्यक्तियों की श्रेणियों" को उस "व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जैसा कि वह निवासी होने के नाते उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (31) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है तथा जो "स्टार्ट अप" कंपनी के शेयरों के इश्यू के लिए अंकित मूल्य से अधिक कोई प्रतिफल करता है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के आशय से, "स्टार्ट अप" से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसमें आम जनता पर्याप्त रूप से रुचि नहीं लेती है तथा जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की दिनांक 17 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. जीएसआरआई 80 (अ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

(अधिसूचना सं. 45 /2016, फा. सं. 173/103/2016-आईटीए-1)

Rg

(रोहित गर्ग)

उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार मुद्राणालय,  
मायापुरी, नई दिल्ली